पत्रांक:- 4/स.1-129/2016................../

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
(उच्च शिक्षा निदेशालय)
योजना भवन, तृतीय तल्ला, नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची, 834002

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा,
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

कुलसचिव,
रांची विश्वविद्यालय, रांची।

राँची, दिनांक:- ..../

विषय:- **संत जेवियर्स महाविद्यालय, सिमडेगा में सत्र 2020-2023 एवं 2021-2024 के लिए बी0ए0 (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) एवं बी0कॉम0 (सामान्य एवं प्रतिष्ठा) के विषयों में अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के संबंध में।**

प्रसंग:- आपका पत्रांक- GE/5723 दिनांक-08.01.2020 एवं GE/7462 दिनांक-06.01.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के आलोक में सूचित करना है की राज्य सरकार ने संत जेवियर्स महाविद्यालय, सिमडेगा को विश्वविद्यालय की अनुशंसा के आलोक में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 04(19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:-

क्र0	संकाय एवं स्तर	विषय	सत्र	अभ्युक्ति
1.	B.A. (Gen. & Hons.)	Hindi, English, History, Geography, Economics & Political Science.	2020-2023 एवं 2021-2024	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण
2.	B.Com. (Gen. & Hons.)	All Groups.	2020-2023 एवं 2021-2024	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

2. शर्त्त:-

i) यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक- BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक-19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तों को सदैव पूरा करेगा।

ii) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

iii) महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा-5 के तहत NAAC Accrediation कराना आवश्यक होगा।

iv) आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक :- 4/स.1-129/2016- 1121 /   राँची, दिनांक- 26|08|2021/

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, संत जेवियर्स महाविद्यालय, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26.8.21

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा।

RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

अधिसूचना

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्रांक 1121 दिनांक 26.8.2021 के द्वारा संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा को स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इण्टर रहित अस्थायी संबंधन दीर्धीकरण के प्रस्ताव में कंडिका –2 में अंकित शर्तों के साथ झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा – 4 (19) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित विवरणी के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है–

क्र0	संकाय एवं स्तर	विषय	सत्र	अभ्युक्ति
1.	B.A. (Gen. & Hons)	Hindi, English, History, Geography, Economics, & Pol-Science	2020–2023 एंव 2021–2024 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्धीकरण
2.	B. Com. (Gen. &Hons)	All Groups	2020–2023 एंव 2021–2024 के लिए	अस्थायी संबंधन दीर्धीकरण

2. शर्त:–

i) यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन / संबंधन दीर्धीकरण हेतु पत्रांक BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक 19.04.86 एवं संबंधन संबंधी नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तो को सदैव पूरा करेगा ।

ii) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तों एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तों के अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

iii) महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा–5 के तहत् NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा ।

iv) आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

कुलपति के आदेशानुसार
ह0 / –
कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची.
दिनांक 13/9/2021

पत्रांक GS(?)–311
प्रतिलिपि–

1. प्राचार्य, संत जेवियर्स कॉलेज, सिमडेगा ।
2. संकायाध्यक्ष, छात्र कल्याण, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
3. परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
4. निदेशक, टेबुलेशन सेन्टर, राँची विश्वविद्यालय, राँची।
5. सहायक कुलसचिव–1 पंजीयन शाखा, राँची विश्वविद्यालय, राँची।

13.9.2021

कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची